1.2.19

पत्रावली प्राप्त निर्णय पेश हुई। अपीलार्थी की अपील 75 L.R.Act स्वीकार की जाती है। तदनुसार नामांतरण निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल पत्रावली है। मूल रिकार्ड T.D.R. HMH को लौटाया जावे। पत्रावली फैसला मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजविन्द्रसिंह पुत्र सुच्चासिंह जाति जटसिख निवासी धौलीवाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत धौलीपाल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धौलीपाल।
2. जन्टासिंह पुत्र चन्दसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———रेस्पोडेंट

अपील संख्या :– 01 सन् 2019
अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता — अपीलांट
2. श्री आशीष भिड़ासरा अधिवक्ता — रेस्पो0 सं. 1
3. श्री मदन मून्ड अधिवक्ता — रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांक :– 1.2.19

अपीलांट ने रेस्पो0 के विरूद्ध यह अपील संक्षेप मे इस प्रकार पेश की है कि अपीलांट ने रेस्पो0 सं. 2 को जरिये बैयनामा दिनांक 11.02.2014 के द्वारा चक 14 एमएमके के खाता सं. 62/65 मे अपीलांट की 0.133 है0 भूमि मे से 0.003¾ है0 भूमि का बैयनामा उपपंजीयक हनुमानगढ़ से पंजीकृत करवाया था जिसके नामान्तरण हेतु बैयनामा पटवारी हल्का धौलीपाल को दिया जिसमे ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.02.2014 को प्रार्थी की समस्त 0.133 है0 भूमि का नामान्तरण रेस्पो0 सं0 2 के पक्ष मे स्वीकृत कर दिया। अपीलाधीन नामान्तरण मनमाने रूप से बिना दस्तावेजो पर कोई गौर किये विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत प्रभावित पक्षकार को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये गलत रूप से दर्ज कर नामान्तरण स्वीकृत किया है जो काबिले खारिज है। रेस्पो0 सं. 1 ने बैठक दिनांक 20.02.2014 की अपीलांट को कोई सूचना अथवा नोटिस जारी नही किया व बिना प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से दर्ज नामान्तरण एवं गिरदावर हल्का द्वारा भी दिनांक 19.02.2014 को बिना दस्तावेज बैयनामा का मिलान किये पटवारी हल्का के अंकन को सही मानकर पंचायत की बैठक मे रख दिया जिसे ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई जांच किये स्वीकृत कर दिया। रेस्पो0 सं. 2 के धारण मे बैयनामा मे खरीद की गई केवल मात्र 0.003¾ है0 भूमि ही कब्जा काश्त मे है परन्तु पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किये अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज कर स्वीकृत करवाया है। अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरण के संबंध मे पूर्व मे कोई जानकारी नही थी दिनांक 02.01.2019 को पटवारी हल्का से अपनी भूमि की जमाबंदी प्राप्त की तो अपीलाधीन

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

नामान्तरण की जानकारी हुई व जानकारी होते ही दिनांक 04.01.2019 को नामान्तरण की प्रमाणित प्रति प्राप्तकर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण सं. 396 दिनांक 20.02.2014 निरस्त फरमाया जाकर मुताबिक बैयनामा संशोधित नामान्तरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो0 सं0 2 की ओर से श्री मदन मून्ड अधिवक्ता एवं रेस्पो0 सं. 1 की ओर से श्री आशीष भिड़ासरा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

अपीलांट की ओर से अपनी अपील के समर्थन मे तहरीर साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी चक 14 एमएमके सम्वत 2065–68, बैयनामा दिनांक 11.02.2014, इंतकाल सं. 396, जमाबंदी चक 14 एमएमके सम्वत 2073–76 आदि पेश किये गये।

अपील मे बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अधिवक्ता अपीलांट के कथनो पर अपनी सहमति प्रकट की।

हमारे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बैयनामा दिनांक 11.02.2014 के अनुसार अपीलांट राजविन्द्र सिंह द्वारा अपने नाम दर्ज चक 14 एमएमके मे 0.133 है0 आराजी मे से 0.003¾ है0 भूमि का बेचान रेस्पो0 सं. जन्टासिंह को बैचान की गई तथा बैयनामा के आधार पर ही राजस्व रिकार्ड मे नामान्तरण दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु नामान्तरण सं. 396 दिनांक 20.02.2014 मे अपीलांट को बिना सुने एवं बिना दस्तावेज बैयनामा का अवलोकन किये अपीलांट के नाम दर्ज समस्त 0.133 है0 भूमि का नामान्तरण बैयनामा दिनांक 11.02.2014 के आधार पर रेस्पो0 सं. 2 के नाम दर्ज कर दिया गया जो विधिसम्मत नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 396 दिनांक 20.02.2014 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बैयनामा दिनांक 14.02.2014 के आधार पर पुनः नामान्तरण संबंधी कार्यवाही करें। उभय पक्ष तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ के समक्ष दिनांक 11.02.2019 को उपस्थित हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को प्रेषित की जावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner